

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)  
क्रमांक:- राजस्व/2023/6

दिनांक 24/01/2023

उनवान:- गेन्दाबाई बनाम राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पिड़ावा  
धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थीया गेन्दाबाई पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत नि० खारपाकलां हाल मुकाम खैराना तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के खाता दुरुरती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिड़ावा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खेडानिपानिया पटवार मण्डल गैलानी तहसील पिड़ावा की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खाता संख्या 66 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम खेडानिपानिया पटवार मण्डल गैलानी तहसील पिड़ावा	66	राधाबाई पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत नि० खारपाकलां	गेन्दाबाई पुत्री अमानसिंह जाति राजपूत नि० खारपाकलां

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़

पिड़ावा, जिला झालावाड़ 24/01/23

क्रमांक:- राजस्व/2023/6

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़ (राज०)

